राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

क्रमांक प.2(45)/ओ0 एण्ड0एम0/उ.प.नि./2019/6970-7105 दिनांक :- 10-02-2020

1. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा/समेती (आत्मा) जयपुर।
2. परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (समस्त), मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण/पौध व्याधि/बीज परीक्षण/रसायन/की.अ.प.प्र.), दुर्गापुरा, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड।
7. उप सचिव, राजस्थान किसान आयोग, मुख्यालय।
8. उप निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त जिला परिषद।
9. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त।

विषयः– प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना की बाबत्।

प्रसंगः– कृषि (ग्रुप–1) विभाग का पत्रांक प.13(05)कृषि–1/2020 जयपुर दिनांक 06.02.2020।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग के परिपत्र कमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर दिनांक 29.01.2020 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया परिपत्र/प्रपत्रानुसार आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) का संधारण करवाते हुए प्रदत्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(45)/ओ0 एण्ड0एम0/उ.प.नि./2019/6970-7105 दिनांक :- 10-02-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, आयुक्तालय, जयपुर।
2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. आरक्षी पंजिका।

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

188
मा2

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.13(05)कृषि–1/2020 जयपुर, दिनांकः– 06/2/2020

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राज0 जयपुर।
3. आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, राज0 जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर।
5. निदेशक, रा0रा0 बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।

JDA 6/2/2020

विषयः– प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग से प्राप्त परिपत्र क्रमांक प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर दिनांक 29.01.2020 की छाया प्रति (मय संलग्नक) संलग्न कर लेख है कि उक्त परिपत्र में प्रदत्त दिशा–निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।

O&M 07/02

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
6/2

(डॉ0 एस0पी0 सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– अनुभागाधिकारी, कृषि (ग्रुप–1 ईनपुट/मॉनिटरिंग) विभाग को परिपत्र की छायाप्रति (मय संलग्नक) संलग्न कर पालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव

550/O&M
06.2.2020

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4 / निरीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.5(5)प्र.सु. / अनु–4 / 2006 जयपुर दिनांकः **29–01–2020**

परिपत्र

विषयः– सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एव कार्य स्थलों पर **आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर)** संधारण के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प 22 (2)प्र.सु. / 1 / 83 दिनांक 05.05.1990 के क्रम में लेख है कि कोई भी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय समय यथा **9.30AM से 6.00PM तक (दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे के अलावा)** अपना स्थान न छोड़े तथा राजकार्य त्वरित रूप से सम्पादित करें।

यह ध्यान में लाया गया है कि कई अधिकारी / कर्मचारी नियत कार्यालय समयावधि में अपने पदस्थापित स्थान से बाहर घूमते हुये पाये जाते है। विभागाध्यक्ष / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अन्य ग्रुप अधिकारिगण का दायित्व है कि कोई भी कर्मचारी उक्त अवधि में अपनी सीट न छोड़े व पूरे कार्यालय समय में राजकीय कार्य सम्पादन करें। कर्मचारियों पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि कोई कर्मचारी यदि प्रकोष्ठ से बाहर जाता है तो वह आवागमन पंजिका में जाने का कारण इन्द्राज कर ही कार्यालय से प्रस्थान करें ।

उपस्थिति औचक निरीक्षण दल के यह भी ध्यान में आया है कि परिपत्र दिनांक 05.05.1990 के माध्यम से प्रसारित निर्देशों के उपरान्त भी ऐसी पंजिका संधारित नहीं की जा रही है। यह भी प्रावधित है कि समस्त राजकीय विभाग / राजकीय निगम / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्थाओं के विभागाध्यक्ष / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अन्य ग्रुप अधिकारिगण यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुमति तथा आवागमन पंजिका में इन्द्राज किये कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल नहीं छोड़े। आवागमन पंजिका का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर / विभागाध्यक्ष एवं अन्य संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
3– समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
4– समस्त विभागाध्यक्ष ।
5– निदेशक, लोक सेवाऐं,प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग / उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग
6– रक्षित पत्रावली ।

(डी. के. स्वामी)
शासन उपसचिव

DS
For compliance to all HODs & Sections of GAD.

राजस्थान सरकार

विभाग ....

आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर)

कर्मचारियों के विभाग/अनुभाग से राजकार्य/अन्य कार्यो से बाहर जाने/आने संबंधी सूचनाओं का ब्योरा

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	विभाग / अनुभाग से बाहर जाने का समय		विभाग / अनुभाग से जाने का प्रयोजन (कारण) राज्य कार्य	वापिस लौटने का समय	हस्ताक्षर कर्मचारी (जाने के समय)	हस्ताक्षर कर्मचारी (वापिस लौटने के समय)	हस्ताक्षर अधिकारी (ग्रुप अधिकारी)	विशेष विवरण
		दिनांक	समय						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10